FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......

......प्रियंका जैन......बनाम......सरकार......

किस्म मुकदमा......136......नं. ......21......सन्......25......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम कसार तहसील लाडपुरा में स्थित खसरा नं0 1286 रकबा 0.46 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीया का 4/5 हिस्सा निहित है एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा निहित है। प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1286 की रकबा 0.46 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीया व प्रतिपक्षी संख्या 1 के खाते दर्ज है लेकिन हल्का पटवारी कसार के द्वारा नक्शा सम्वत 2034 के अनुसार खसरा नं0 1910/1286 नक्शे में गलत दर्ज कर दिया गया जबकि 1286 के खेत के नक्शे का आकार छोकर कर दिया गया। मुताबिक खेत के अनुसार खसरा नं0 1910/1286 के स्थान पर खसरा नं0 1286 नक्शे में दर्ज होना चाहिए लेकिन लिपिकीय त्रुटिवश उक्त नक्शे में खसरा नं0 गलत दर्ज हो गया है जिसका संशोधन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि उक्त खसरा नं0 को नक्शे में दुरूस्त नही किया गया तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असंभव है। प्रार्थीया के खसरा नं0 1286 के स्थान पर 1910/1286 एवं 1286 के स्थान पर 1910/1286 नक्शे में अंकित होना चाहिये था जिसको दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वींकार फरमाया जाकर ग्राम कसार तहसील लाडपुरा में स्थित खसरा नं0 1910/1286 के स्थान पर खसरा नं0 1286 एवं खसरा नं0 1286 के स्थान पर 1910/1286 को नक्शे में दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी नं0 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुई अतः अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे कथन किया है कि ग्राम कसार के नामान्तकरण संख्या 1625 दिनांक 30.11.2016 से खसरा नं0 1286 की 0.49 है0 भूमि में से 0.03 है0 भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नाम दर्ज की गई थी। फलस्वरूप खसरा नं0 1286 रकबा 0.46 है0 खातेदार सूरजमल के नाम दर्ज हुई एवं नवीन खसरा नं0 1910/1286 रकबा 0.03 है0 भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नाम दर्ज हुई थी। जमाबंदी में	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तो उक्त खसरा नं0 सही दर्ज है परन्तु नक्शे में खसरा नं0 1286 के स्थान पर 1910/1286 लिखा हुआ है और खसरा नं0 1910/1286 के स्थान पर 1286 लिखा हुआ है। अतः नक्शे में उक्त अनुसार खसरा नं0 1286 के स्थान पर खसरा नं0 1910/1286 एवं खसरा नं0 1910/1286 के स्थान पर खसरा नं0 1286 अंकित किया जाना प्रस्तावित है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौराने बहस प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की है कि नक्शे में खसरा नं0 1286 के स्थान पर 1910/1286 लिखा हुआ है और खसरा नं0 1910/1286 के स्थान पर 1286 लिखा हुआ है। अतः नक्शे में उक्त अनुसार खसरा नं0 1286 के स्थान पर खसरा नं0 1910/1286 एवं खसरा नं0 1910/1286 के स्थान पर खसरा नं0 1286 अंकित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट एवं तहसीलदार लाडपुरा द्वारा की गई अनुशंषा के आधार, पर प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम कसार पटवार हल्का कसार के खसरा नं0 1286 के स्थान पर खसरा नं0 1910/1286 एवं खसरा नं0 1910/1286 के स्थान पर खसरा नं0 1286 को नक्शे में अंकित कर दुरूस्ती की जावें।

उक्त निर्णय आज दिनाक: 31/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा